भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3032

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

महा जल मिशन का कार्यान्वयन

3032. श्री प्रदीप कुमार सिंहः श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री विनोद लखमशी चावड़ाः डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
कैप्टन बृजेश चौटाः श्री अनिल फिरोजियाः
श्री खगेन मुर्मुः श्री राजकुमार चाहरः
डॉ. संजय जायसवालः श्री महेश कश्यपः
डॉ. निशिकान्त दुबेः श्री भर्तृहरि महताबः
श्री मनोज तिवारीः श्री नव चरण माझीः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एएनआरएफ-जल शक्ति मंत्रालय महा जल मिशन को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त मिशन के अंतर्गत अनुसंधान परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी संघ के चयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्या संस्थागत रूपरेखा बनाई गई है, और दक्षिण कन्नड़ से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने की प्रक्रिया क्या है;

(ग) जल प्रबंधन के लिए नए और बेहतर समाधान विकसित करने में स्टार्ट-अप्स, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) जैसे शैक्षणिक संस्थानों और अन्य अनुसंधान संगठनों की भागीदारी को सरल बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं; और

(घ) पूरे देश में उक्त मिशन के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकी को जल जीवन मिशन (जेजेएम) जैसे जल संसाधन प्रबन्धन और पेयजल कार्यक्रमों में कैसे मान्य किया जाएगा, लागू किया जाएगा और शामिल किया जाएगा?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ), भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय, की स्थापना एएनआरएफ अधिनियम, 2023 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति

की सिफारिशों के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान और मानविकी व सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक व तकनीकी इंटरफेस के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय कार्यनीतिक दिशा प्रदान करना, बढ़ावा देना, निगरानी करना और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना है। मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई-इम्पैक्ट एरियाज़ (एमएएचए) एएनआरएफ के अंतर्गत एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश की प्रमुख आवश्यकताओं के अनुसार कुछ विशेष क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मिशन मोड में प्राथमिकता-केंद्रित, समाधान-आधारित शोध को बढ़ावा देना है। यह वर्तमान समय की सर्वाधिक प्राथमिकता वाली चिंताओं के क्षेत्रों में औद्योगिक साझेदारियों सहित एक बहुविषयक, बहुसंस्थागत तथा बहु-अन्वेषक परियोजना है।

दिनांक 01 जून 2026 को शुरु किया गया एमएएचए जल कार्यक्रम, एएनआरएफ तथा जल शक्ति मंत्रालय का एक संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य जल क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों के समाधान हेतु मिशन-उन्मुख एवं समाधान-आधारित अनुसंधान का समर्थन करना है। एमएएचए जल कार्यक्रम के पाँच प्रमुख विषय: जल संसाधन का आकलन और सतत प्रबंधन; पेयजल; जल गुणवत्ता; मानव और पारिस्थितिक स्वास्थ्य; जल उपयोग दक्षता एवं सर्कुलर इकोनॉमी; तथा जलवायु रिजिलियंस और अनुकूलन हैं।

एएनआरएफ एमएएचए जल कार्यक्रम के अंतर्गत, कई प्रधान अन्वेषकों तथा अकादमिक संस्थानों/प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संगठनों, डीएसआईआर-एसआईआरओ में पंजीकृत अनुसंधान संगठनों तथा धारा 8 की पात्र कंपनियों वाले कंसोर्टियम मोड में प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। कुल परियोजना लागत के 10% नकद योगदान के साथ कम से कम एक स्टार्ट-अप/ एमएसएमई/इंडस्ट्री पार्टनर की भागीदारी अतिआवश्यक है। इससे संबंधित सूचनाच https://anrfonline.in/ANRF/mahawp_anrf?HomePage=New वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्टार्ट-अप/ एमएसएमई की भागीदारी को सुगम बनाने और जल से जुड़ी नई तकनीकों के विकास और लागू करने की गति बढ़ाने के लिए भारत, डब्ल्यूआइएन (विन) पोर्टल की शुरूआत की गई है।

इसके अतिरिक्त, जल क्षेत्र की मुख्य चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक, बड़े पैमाने पर लागू की जा सकने वाली और फील्ड-रेडी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'जल शक्ति हैकाथॉन-2025' का आयोजन किया गया।

चजल क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान एवं विकास संबंधी परिणामों को हितधारकों जैसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, सहयोगी मंत्रालयों और परियोजना का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों के साथ इसे अपनाने और कार्यान्वित करने के लिए साझा किया जाता है।
